बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 219523 पटना, दिनांक 06.02.15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(नि0वि0)-102-22/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवश्यकता से अतिरिक्त निधि के हस्तांतरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त निधि विमुक्ति संबंधी प्रस्ताव प्रेषण के क्रम में कतिपय जिलों द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में लाभुक परिवार अवशेष नहीं रहने के कारण इस कोटि के लिए कर्णाकित राशि का उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है तथा आवश्यकता से अधिक राशि जिलों में अवशेष एवं अव्यवहृत पड़े हुए हैं । उक्त कारणों से जहाँ द्वितीय किस्त की विमुक्ति के लिए निर्धारित राशि उपयोग की सीमा (कुल उपलब्ध राशि का 60%) पूरा करने में कठिनाई हो रही है वहीं वर्ष के अंत में अवशेष राशि रखने की तय सीमा (कुल उपलब्ध राशि का 10%) से अधिक राशि रहने पर निधि विमुक्ति के समय कटौती की संभावना है ।

उपर्युक्त कठिनाई को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि जिलों द्वारा वर्ष 2013-14 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवासों के अनुरूप राशि की आवश्यकता का आकलन करते हुए उतनी राशि जिलान्तर्गत रख जी जाय । अवशेष राशि जिसके विरूद्ध लाभुक को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है, उसके संबंध में पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए **जिला पदाधिकारी के एतद् संबंधी प्रमाण-पत्र के साथ** विहित प्रपत्र में विभाग को अवगत कराया जाय तथा उसके बाद वह राशि राज्य स्तर पर विभाग के अंतर्गत BRDS के संचालनाधीन बैंक ऑफ इंडिया, सोन भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना में संधारित खाता संख्या-441020110000167, IFSC Code-BKID 000410, MICR Code-800013003 में RTGS के माध्यम से हस्तांतरित किया जाय ।

इसी प्रकार कतिपय जिलों द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में SC/ST के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभुकों को सहायता राशि हस्तांरित भी कर दिया गया है, फलस्वरूप उन जिलों में आवश्यकता की पूर्ति हेतु निधि की अधियाचना भी प्राप्त हो रहे हैं । अत: ऐसे जिलों में लक्ष्य से अधिक स्वीकृत लाभुकों को सहायता राशि भुगतान करने के निमित आवश्यकता की राशि का आकलन करते हुए विभाग से राशि की स्पष्ट अधियाचना अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू) 5/2/15
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 219523 पटना, दिनांक 06.02.15

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
5/2/15

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1188.doc

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवासों के लिए राशि का आकलन विवरणी

जिला का नाम :-

अनुसूचित जाति/जनजाति के लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत आवासों की स्थिति				अवशेष लक्ष्य के विरूद्ध हस्तांतरण हेतु उपलब्ध राशि	अतिरिक्त लिये गये लक्ष्य के लिए राशि की आवश्यकता	लक्ष्य के अनुरूप आवास नहीं स्वीकृत करने का कारण	अतिरिक्त लक्ष्य लेने का उद्देश्य
निर्धारित लक्ष्य	स्वीकृत आवास की सं0	अवशेष लक्ष्य	अतिरिक्त लिये गये लक्ष्य				
1	2	3	4	5	6	7	8